न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट भजेडा)

वाद संख्या :— 02 / 162 / 2013

<u>हरिनारायण बनाम सरकार</u>
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 28.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट भजेडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 22.07.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 67, 68, 69 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 19.09.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की प्रार्थी की कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। बार बार असवर दिए जाने के बाद भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् नोटिस पेश कर पालना नहीं की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वर्ष 2013 से प्रचलन में है व प्रकरण का निस्तारण तामील के अभाव में गत 5 वर्षों से नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 67, 68, 69 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 22.07.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 कैम्प कोर्ट भजेडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट भजेडा)